



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 630 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2025

रायपुर, दिनांक : 02/04/2025

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 20.03.2025 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2025 में अनुमोदन प्रदान किया गया है, अनुमोदन पश्चात् नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2024-25 के लिए प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय
रामचण्डी महाविद्यालय, बगईजोर, सरायपाली जिला- महसमुंद (छ.ग.) nand.k.bhoi@gmail.com pradeepbarik.saraipali@gmail.com, rcmspl2003@yahoo.in Mobile No.- 9424243156, 9926150704	<u>Permanent Affiliation</u> <u>B.A.</u> - F.C., Economics, Political Sc., Hindi Litt., Sociology, Geography (90 Seat) <u>B.Com.</u> - with Compl. Appl.(80 Seat) <u>P.G.D.C.A.</u> (70 Seat) <u>Non- Permanent Affiliation</u> <u>D.C.A.</u> -(30 Seat) <u>B.A.-I</u> - (30 seat Extension) Geography <u>B.Ed.</u> (Seat-50) <u>B.Sc.-Bio-</u> (Chem. Zoology, Botany) (85 Seat) <u>B.Sc. Maths</u> (40 Seat) <u>B.Sc.-I,II-</u> Computer Sc. (Maths, Physics, Computer Science)- 30 Seat <u>M.A.-Hindi Literature</u> (20 Seat) <u>M.Com.</u> (40 Seat)

निर्देश:-

- महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय एवं शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन किया जावे।
- परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित किया जावे।
- महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
- छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार होनी चाहिये।

आदेशानुसार,


उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 631 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2025

रायपुर, दिनांक : 02/04/2025

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 3, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- उ.कु.स. परीक्षा / सेमेस्टर परीक्षा / स.कु.स. गोपनीय / नामांकन / प्रभारी अधिकारी, प्रेस
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


कक्ष अधिकारी (अका.)